VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

केंद्रीय बज़ट का सारांश 2023-24

प्रस्तावना

- **संविधान के अनुच्छेद 112** के अनुसार, संघीय बजट मूल रूप से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। गौरतलब है कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
    - इसे सरकार के **वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement)** के रूप में भी जाना जाता है।
    - **वित्त मंत्रालय के तहत आने वाला आर्थिक मामलों का विभाग** बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी प्रमुख निकाय है।
    - संघीय बजट को **राजस्व बजट (Revenue Budget)** और **पूंजीगत बजट (Capital Budget)** में वर्गीकृत किया जाता है।
- **बजट का भाग A** बजट का समष्टि–आर्थिक (Macro-Economic) भाग होता है। इसके तहत सरकार की अलग–अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग–अलग क्षेत्रकों के लिए निधि भी आवंटित की जाती है।
- **बजट का भाग B** वित्त विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। **(संविधान के अनुच्छेद 110 में दिए गए शर्तों को पूरा करने वाला वित्त विधेयक, धन विधेयक होता है।)**
- वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा, **संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित हैं:**
    - **वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112 के तहत); अनुदान–मांगें (अनुच्छेद 113 के तहत); वित्त विधेयक (अनुच्छेद 110 के तहत) और FRBM अधिनियम के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण।** राजकोषीय नीति विवरण में शामिल हैं:
        - **समष्टि आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement)।**
        - **मध्यावधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीतिगत कार्य–योजना संबंधी विवरण (Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement)।**
    - **बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं:**
        - **व्यय बजट**
        - **प्राप्ति बजट**
        - **व्यय की रूपरेखा**
        - **बजट एक नजर में**
        - **वित्त विधेयक के प्रावधानों का व्याख्यात्मक ज्ञापन**
        - **निर्गम परिणाम निगरानी रूपरेखा (Output Outcome Monitoring Framework)**
        - **बजट 2023–24 की विशेषताएं**
        - **बजट 2022–23 की घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति।**

बजट प्रक्रिया

- **I** बजट प्रस्तुति
- **II** संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा
- **III** स्थायी समितियों द्वारा अलग–अलग मंत्रालयों की अनुदान–मांगों की जांच
- **IV** अनुदान–मांगों पर लोक सभा में विस्तृत चर्चा और मतदान
- **V** विनियोग और वित्त विधेयक पारित

बजट 2023–24 **अमृत काल में पहला बजट** है। "अमृत काल" **इंडिया @75 से इंडिया @100** के बीच की 25 वर्षों की अवधि के रोडमैप को इंगित करता है। **चार परिवर्तनकारी अवसरों द्वारा संचालित त्रि–आयामी फोकस** अमृत काल के लिए आधारशिला है।

अमृत काल के लिए विज़न
(एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था)

- नागरिकों के लिए अवसर, जिसमें युवाओं पर फोकस होगा।
- रोजगार सृजन में वृद्धि।
- मजबूत और स्थिर व्यापक आर्थिक परिवेश।

4 परिवर्तनकारी अवसर

- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
- पी.एम. विश्वकर्मा कौशल सम्मान (PM VIKAS)
- पर्यटन की क्षमता का दोहन।
- हरित विकास, जिससे सभी क्षेत्रकों में ऊर्जा का कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित होगा।

भाग A

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए प्रस्तावित बजट **अमृत काल** में **सात मार्गदर्शक स्तंभों** यानी **'सप्तऋषि'** पर आधारित है।

'सप्तऋषि'
बजट 2023–2024 की सात प्राथमिकताएं

प्राथमिकता 1: समावेशी विकास (Inclusive Development)

कृषि और सहकारिता (AGRICULTURE AND COOPERATION)

- **कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर:** सार्वजनिक हित में कृषि के लिए ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल आधारित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।
    - इसका उद्देश्य आगतों (**Inputs**), विपणन (**Marketing**) **आदि से संबंधित किसान–केंद्रित समाधानों को बढ़ावा** देना है।
- **एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड:** यह **ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि–स्टार्टअप** को प्रोत्साहित करेगा।
- **कपास की फसल की उपज बढ़ाना:** इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से **क्लस्टर–आधारित** मूल्य श्रृंखला एप्रोच को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है।

- **आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम (Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Program: AHCPP):** 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक व्यय के साथ AHCPP को आरंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च प्रतिफल प्रदान करने वाली (High value) बागवानी फसलों के लिए रोग–मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पादप रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
- **मोटे अनाजों के लिए वैश्विक हब (Global Hub for Millets):** इसके लिए हैदराबाद स्थित **भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Millet Research)** को **उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। मोटे अनाजों को "श्री अन्न" कहा गया है।
- **कृषि ऋण:**
  - पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।
  - **6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश** के साथ **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप–योजना** शुरू की जाएगी।
- **सहकारिता:** सरकार विशेष रूप से लघु एवं **सीमांत किसानों और अन्य वंचित वर्गों के लिए सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल** को बढ़ावा दे रही है।
  - सरकार ने **63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agricultural Credit Societies: PACS) के कंप्यूटरीकरण** का काम शुरू किया है। इनके साथ ही, इनको बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम बनाया जाएगा।
  - इसके अलावा, सहकारी समितियों **से वंचित पंचायतों और गांवों में** सरकार ने आगामी **पांच वर्षों के दौरान** सहकारी समितियों की स्थापना को सुगम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्राथमिकता 1: समावेशी विकास (Inclusive Development)

'सबका साथ सबका विकास' की अवधारणा ने समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए वंचितों को समग्र रूप से प्राथमिकता **(वंचितों को वरीयता)** दी है।

सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य
- नर्सिंग कॉलेज
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन
- चिकित्सा उपकरणों के लिए बहु–विषयक पाठ्यक्रम

कृषि और सहकारिता
- कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
- एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड
- कपास की फसल की उपज बढ़ाना
- आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पादप कार्यक्रम
- मोटे अनाजों (श्री अन्न) के लिए वैश्विक हब
- प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की नई उप–योजना
- सहकारिता आधारित आर्थिक विकास

शिक्षा और कौशल तक पहुंच
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

सभी के लिए वहनीय स्वास्थ्य (AFFORDABLE HEALTH FOR ALL)

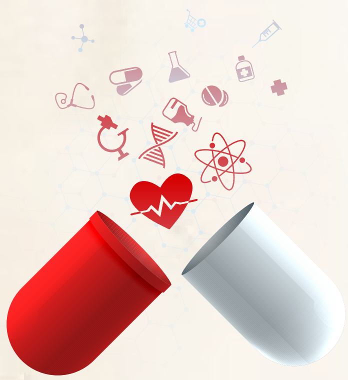

- **नर्सिंग कॉलेज:** 2014 के बाद से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ **157 नए नर्सिंग कॉलेज** खोले जाएंगे।
- **सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन:** एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना होगा।
  - इस मिशन के तहत **प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों** में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही, 0–40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की **यूनिवर्सल स्क्रीनिंग** भी की जाएगी।
- **चिकित्सा उपकरणों के लिए बहु–विषयक पाठ्यक्रम:** इसके माध्यम से भावी चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण और अनुसंधान के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **फार्मास्युटिकल संबंधी नवाचार (Pharma Innovation):** फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

शिक्षा और कौशल तक पहुंच (ACCESSING EDUCATION AND SKILLING)

- **अध्यापकों का प्रशिक्षण:** इसके तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों **(District Institutes of Education and Training)** को प्रभावकारी उत्कृष्ट संस्थानों (Vibrant institutes of excellence) के रूप में तैयार किया जाएगा।
- बजट में **बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय** की घोषणा की गई है।

प्राथमिकता 2: अंतिम छोर तक पहुंचना (Reaching the Last Mile)

किसी को पीछे नहीं छोड़ना

- **आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम:** इसमें अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 500 ब्लॉक्स को शामिल किया गया है।
- **प्रधान मंत्री पी.वी.टी.जी. (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) विकास मिशन {Prime Minister PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Group) Development Mission}:**
  - अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय:** अगले तीन वर्षों में, केंद्र सरकार 3.5 लाख जनजातीय छात्रों हेतु चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।
- **सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए जल:** ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
- **पी.एम. आवास योजना:** पी.एम. आवास योजना के परिव्यय (Outlay) में 66 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है।
- **भारत साझा पुरालेख निधान या भारत श्री (Bharat Shared Repository of Inscriptions: Bharat SHRI):** इसे डिजिटल पुरालेख संग्रहालय (Digital Epigraphy Museum) में स्थापित किया जाएगा। इसके पहले चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
- **गरीब कैदियों के लिए सहायता:** इसके तहत जेलों में बंद जुर्माने या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ गरीब व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 3: अवसंरचना और निवेश (Infrastructure & Investment)

निवेश

- **विकास और नौकरियों के चालक के रूप में पूंजीगत निवेश:** पूंजीगत निवेश परिव्यय को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है। यह **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** का 3.3 प्रतिशत होगा।
- **प्रभावी पूंजीगत व्यय:** इसके लिए **GDP** का **4.5 प्रतिशत** निर्धारित किया गया है।
- **राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता:** इसके तहत केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसमें व्यापक रूप से 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की वृद्धि की गई है।
- **अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि:** इस हेतु एक नवीन अवसंरचना वित्त सचिवालय (Infrastructure Finance Secretariat) की स्थापना की जाएगी।
  - निजी निवेश को अवसंरचना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें रेलवे, सड़क, शहरी अवसंरचना और विद्युत क्षेत्रक शामिल होंगे।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना

- **अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची (Harmonized Master List of Infrastructure: HMLoI):** विशेषज्ञ समिति द्वारा अमृत काल के लिए उपयुक्त HMLoI की समीक्षा की जाएगी।
- **रेलवे:** इसके लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है।
- **लॉजिस्टिक:** बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रकों के लिए शुरू से लेकर अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी (Last and first mile connectivity) हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (Regional Connectivity):** क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का पुनरुद्धार किया जाएगा।
- **तटीय पोत–परिवहन:** इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।

प्राथमिकता 3: अवसंरचना और निवेश

महामारी के दौरान मंद अवधि के बाद, इसका संवृद्धि और रोजगार पर व्यापक गुणक (Multiplier) प्रभाव पड़ा है। हालांकि, निजी निवेश फिर से बढ़ रहे हैं।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना

- अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
- रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक परिव्यय।
- 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी।
- तटीय पोत–परिवहन।

निवेश

- संवृद्धि और रोजगार के चालक के रूप में पूंजीगत निवेश।
- प्रभावी पूंजीगत व्यय।
- पूंजीगत निवेश के लिए राज्य सरकारों को सहायता।
- अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि।

शहरी विकास

- भावी संधारणीय शहर।
- शहरों को नगरपालिका बॉण्ड के लिए तैयार करना।
- शहरी अवसंरचना विकास निधि।
- शहरी स्वच्छता।

शहरी विकास (URBAN DEVELOPMENT)

- **भावी संधारणीय शहर (Sustainable Cities of Tomorrow):** इसके लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन से जुड़े सुधारों तथा कार्रवाइयों हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- संपत्ति कर व्यवस्था में सुधारों और शहरी अवसंरचना पर रिंग–फेंसिंग यूजर चार्ज के माध्यम से शहरों को नगरपालिका बॉण्ड के लिए तैयार किया जाएगा।
- **शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund: UIDF):** UIDF का वित्त पोषण उन बैंकों से किया जाएगा जो 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण' (PSL) देने के लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहते हैं।
  - इसका प्रबंधन **राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank)** द्वारा किया जाएगा।
  - इसके तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
- **शहरी स्वच्छता (Urban Sanitation):** सेप्टिक टैंक्स और सीवरों की सफाई पूरी तरह मशीन से की जाएगी, ताकि मैनहोल से मशीन–होल मोड (Manhole to machine-hole mode) की ओर बढ़ा जा सके।
  - **सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

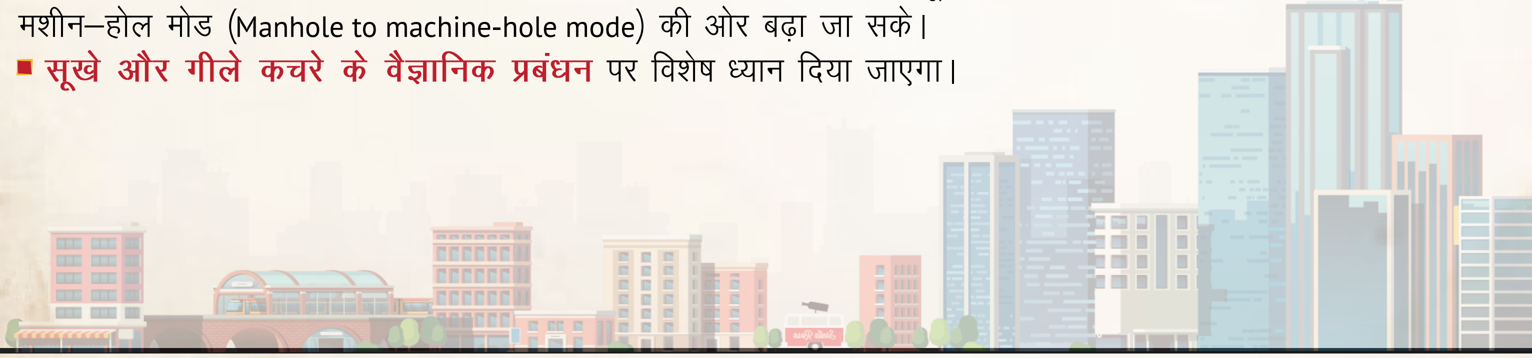

प्राथमिकता 4: क्षमता को उजागर करना (Unleashing the Potential)

सुशासन (GOOD GOVERNANCE)

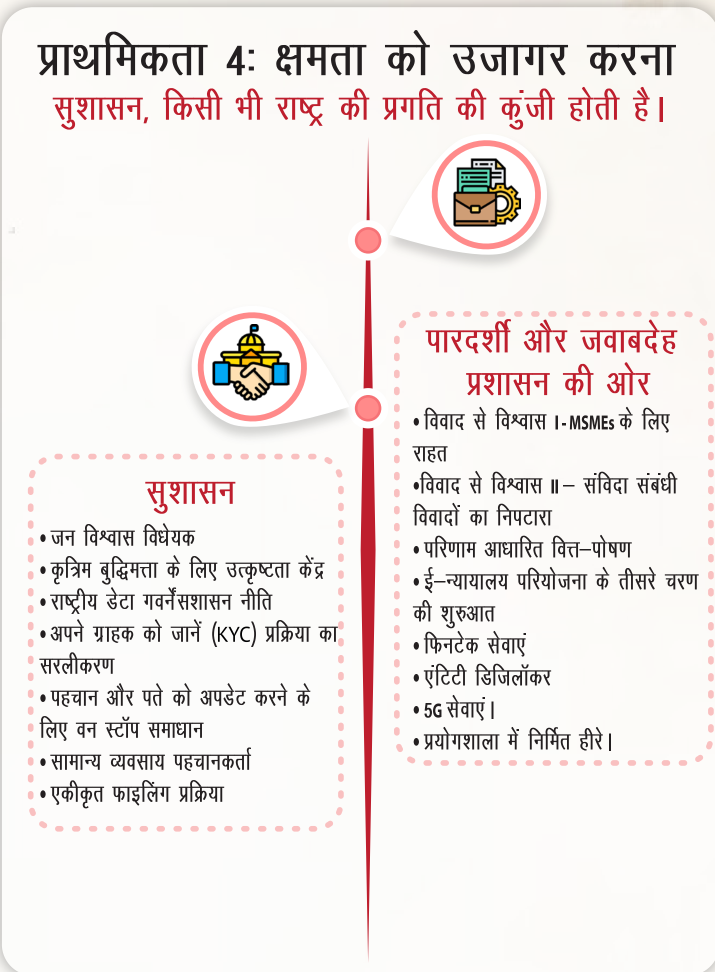

- **जन विश्वास विधेयक:** विश्वास आधारित शासन को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा **42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए "जन विश्वास" विधेयक को पेश** किया गया है।
- **राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस नीति (National Data Governance Policy):** इसे स्टार्ट–अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence for Artificial Intelligence):** "मेक AI इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया" के विजन को साकार करने हेतु शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में AI के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रिया का सरलीकरण:** 'सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण' (One size fits all) की जगह 'जोखिम–आधारित' (Risk-based) दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा।
- **पहचान और पते को अपडेट करने के लिए वन स्टॉप समाधान:** इसके लिए डिजीलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान (Foundational Identity) के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- **सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता (Common Business Identifier):** पैन (स्थायी खाता संख्या) का उपयोग निर्धारित सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता (Common Identifier) के रूप में किया जाएगा।
- **एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया:** इससे एक ही सूचना को अलग–अलग सरकारी एजेंसियों के समक्ष अलग–अलग प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करने में मदद मिलेगी।

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की ओर
(TOWARDS TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE ADMINISTRATION)

- **विवाद से विश्वास I : MSMEs के लिए राहत:** यदि कोविड अवधि के दौरान MSMEs अपनी संविदाओं को क्रियान्वित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति (Performance security) से संबंधित जब्त राशि का 95% सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा।
- **विवाद से विश्वास II : संविदा संबंधी विवादों का निपटारा:** इसके लिए मानकीकृत शर्तों के साथ स्वैच्छिक समाधान योजना (Voluntary settlement scheme) शुरू की जाएगी।
  - ऐसा विवाद की लंबित अवधि के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों के जरिए किया जाएगा।
- **परिणाम आधारित वित्त पोषण:** दुर्लभ संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए **'इनपुट–आधारित' की जगह 'परिणाम–आधारित'** वित्त पोषण को अपनाया जाएगा।
- **ई–न्यायालय:** ई–न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण को शुरू किया जाएगा।
- **फिनटेक सेवाएं:** अत्याधुनिक फिनटेक सेवाओं को सक्षम करने के उद्देश्य से व्यक्तियों के लिए डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- **एंटिटी डिजीलॉकर (Entity DigiLocker):** MSMEs, बड़े व्यवसायों और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एक एंटिटी डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा।
- **5G सेवाएं:** 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
- **प्रयोगशाला में निर्मित हीरे:** यह एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी आधारित और नवाचार–संचालित क्षेत्रक है। इसमें रोजगार पैदा करने की अत्यधिक क्षमता मौजूद है।
  - आई.आई.टी संस्थाओं में से किसी एक को **पांच साल के लिए** अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

प्राथमिकता 5: हरित विकास (Green Growth)

जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना

- **हरित हाइड्रोजन मिशन:** इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में निम्न–कार्बन गहनता की स्थिति प्राप्त करना है।
  - इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESSs):** 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली BESSs को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (Viability Gap Funding) से सहायता प्रदान की जाएगी।
  - यदि कोई आधारभूत ढांचा परियोजना आर्थिक रूप से तर्कसंगत हो लेकिन उसकी वित्तीय व्यवहार्यता कम हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार **व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण** प्रदान करती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा निकासी:** लद्दाख से 13 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (Inter-state transmission system) का निर्माण किया जाएगा।
- **अमृत धरोहर:** आर्द्रभूमि के लिए स्थानीय समुदायों की अनूठी संरक्षण शैली को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले तीन वर्षों में अमृत धरोहर को क्रियान्वित किया जाएगा।
- **हरित ऋण कार्यक्रम (Green Credit Programme):** इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत लाया जाएगा।
  - इससे व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय एवं उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- **पी.एम.–प्रणाम {PM-PRANAM (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth):** इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रलिखित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा– रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए, तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए।
- **गोबरधन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan: GOBARDhan) योजना:** चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना के तहत 500 नए 'वेस्ट टू वेल्थ' (अपशिष्ट से आमदनी) संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
  - इनमें 200 संपीडित बायोगैस (Compressed Biogas) संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें से 75 संयंत्र शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, तथा
  - 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- **भारतीय प्राकृतिक खेती बायो–इनपुट संसाधन केंद्र (Bhartiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centres):** 10,000 बायो–इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  - राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म–उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
  - इसके तहत सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करेगी।
- **मिश्टी (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes: MISHTI):** इसके तहत तटीय रेखा से जुड़े क्षेत्रों और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव का रोपण किया जाएगा।
  - इसे मनरेगा, CAMPA फंड और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल की सहायता से पूरा किया जाएगा।

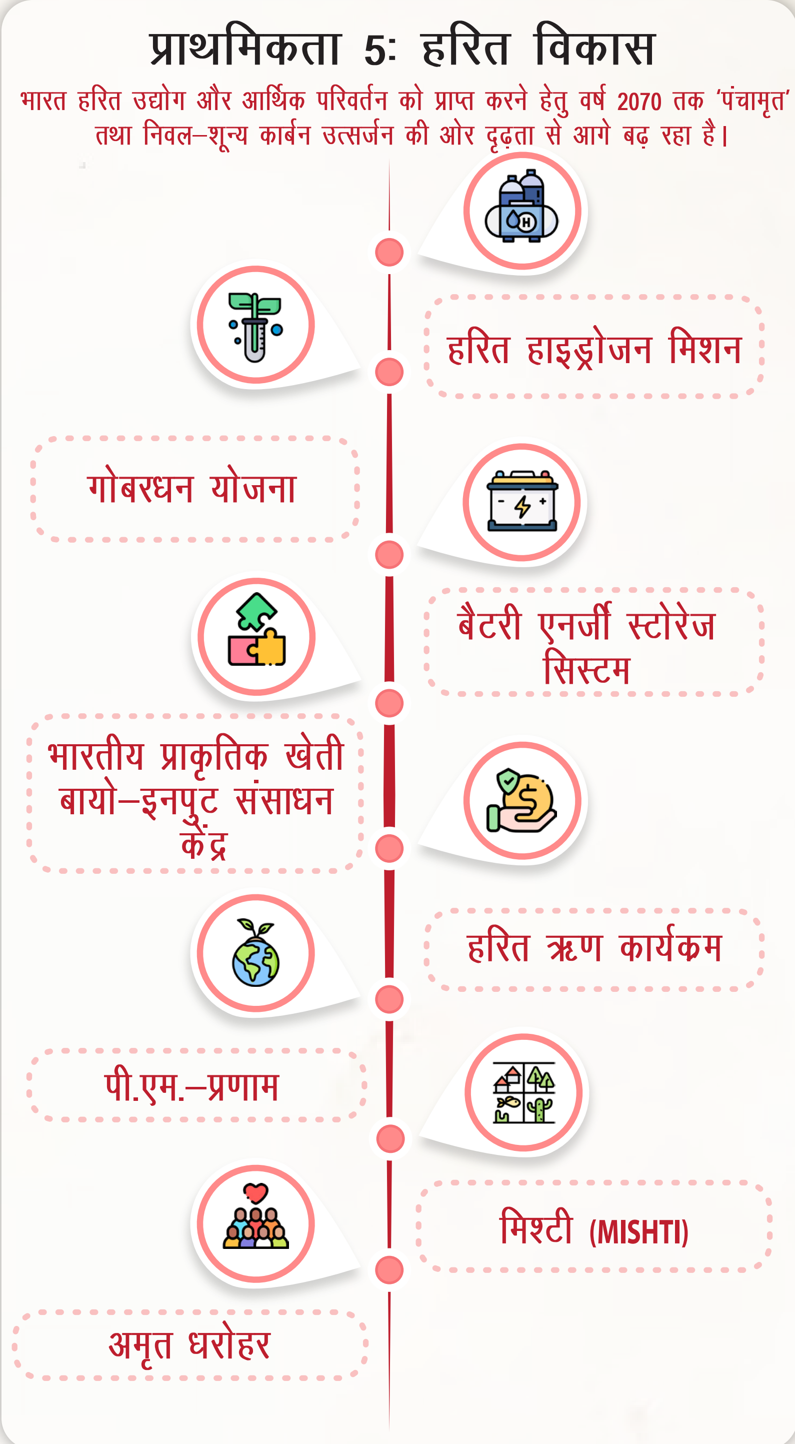

प्राथमिकता 6: युवा शक्ति (Youth Power)

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0:** युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों हेतु कौशल प्रदान करने के लिए अलग–अलग राज्यों में **30 'स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर'** स्थापित किए जाएंगे।
- **यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म:** इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:
  - मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन को सक्षम करना;
  - नियोक्ताओं के साथ जुड़ाव स्थापित करना, जिसमें MSMEs भी शामिल होंगे;
  - उद्यमिता योजनाओं की उपलब्धता को सुगम बनाना।
- **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme):** इस योजना के तहत तीन वर्षों में **47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड** (वृत्तिका सहायता) प्रदान करने **के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** शुरू किया जाएगा।
- **पर्यटन को बढ़ावा देना:** 'चैलेंज मोड' की सहायता से कम–से–कम 50 पर्यटक स्थलों का चयन किया जाएगा। साथ ही, इन्हें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
  - **'देखो अपना देश' पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष कौशल और उद्यमिता विकास** के मध्य समन्वय स्थापित किया जाएगा।
  - **वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम** के तहत सीमावर्ती गांवों में **पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा**। साथ ही, इन गांवों में **पर्यटन संबंधी सुविधाओं** को भी सुगम बनाया जाएगा।
- **राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना:** राज्य की राजधानियों या प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा।
  - इससे राज्यों को अपने–अपने ODOPs (एक जिला, एक उत्पाद), जी.आई. उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उनकी बिक्री करने का अवसर मिलेगा।

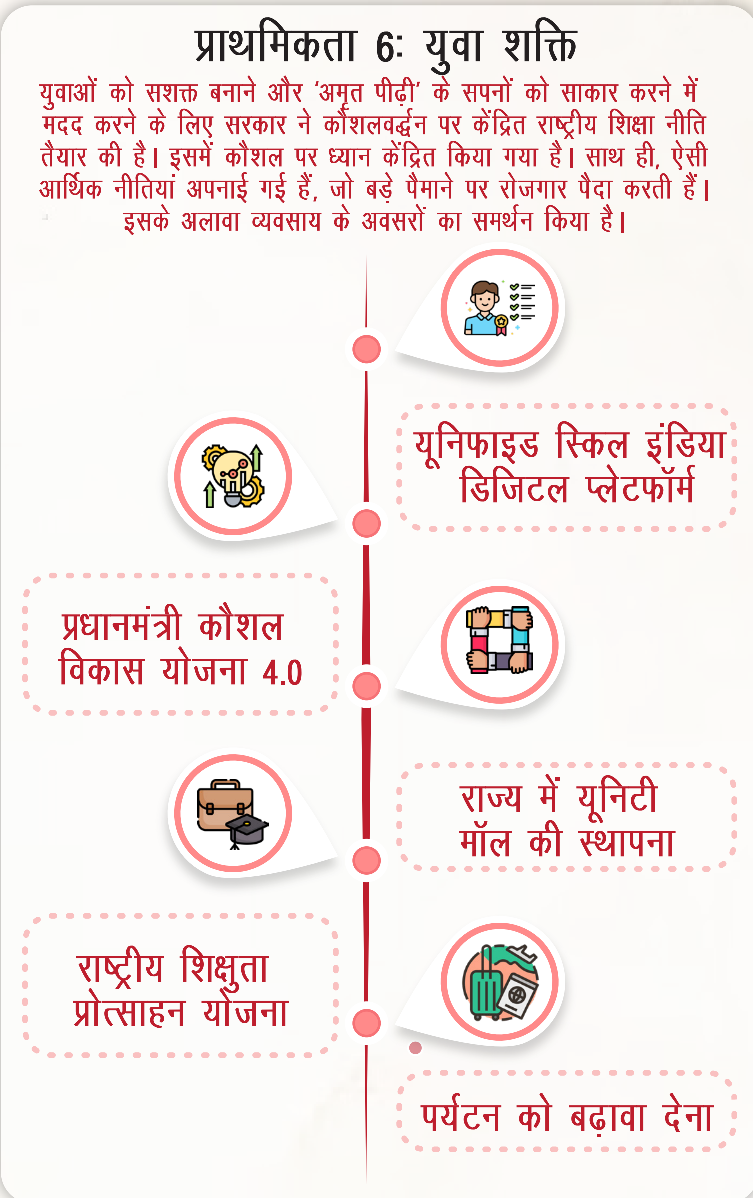

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्रक (Financial Sector)

- **MSMEs के लिए ऋण गारंटी:** इससे 2 लाख करोड़ रुपये के जमानत/संपार्श्विक (Collateral) मुक्त गारंटीकृत ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
  - इसके अलावा, ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी आएगी।
- **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (National Financial Information Registry):** इसे वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया जाएगा। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा।
  - इसे RBI के परामर्श से तैयार किया गया है और एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा।

- **वित्तीय क्षेत्रक के विनियम:** वित्तीय क्षेत्रक के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसका उद्देश्य अनुपालन को आसान, सुगम बनाना और उससे संबंधित लागत को कम करना है।
- **डेटा एम्बेसी:** डिजिटल निरंतरता को बनाए रखने संबंधी समाधान ढूंढने वाले देशों के लिए **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) में उनके डेटा एम्बेसी की स्थापना में मदद प्रदान** की जाएगी।
- **प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण (Capacity Building in Securities Market):** सेबी को **राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान** में शिक्षण मानदंडों और मानकों को तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने तथा लागू करने का अधिकार दिया जाएगा।
- **डिजिटल भुगतान:** डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय समर्थन 2023–24 में भी जारी रहेगा।
- **आजादी का अमृत महोत्सव – महिला सम्मान बचत पत्र:** इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को लघु बचत योजना में एकमुश्त जमा करने की सुविधा के साथ **महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र (Mahila Samman Savings Certificate: MSSC)** उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना दो साल की अवधि के लिए मार्च 2025 तक जारी रहेगी।
  - इसमें **2 वर्ष की अवधि** के लिए **2 लाख रुपये तक** की जमा की सुविधा होगी। साथ ही, **आंशिक निकासी विकल्प** के साथ महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर **7.5 प्रतिशत का निश्चित ब्याज भी मिलेगा।**
- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना** के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया जाएगा।
  - **मासिक आय खाता योजना (Monthly Income Account Scheme)** के लिए अधिकतम जमा सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख (एकल खाते के लिए) और 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख (संयुक्त खाते के लिए) कर दिया जाएगा।
- **राजकोषीय प्रबंधन:**
  - **राज्यों को पचास वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण:** इसे **वर्ष 2023–24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर खर्च** किया जाना है। हालांकि, इस ऋण का एक हिस्सा निश्चित उद्देश्यों के लिए खर्च करना होगा।
  - **राज्यों का राजकोषीय घाटा:** राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का **3.5 प्रतिशत** राजकोषीय घाटा रखने की अनुमति होगी। इस राशि का **0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्रक में** सुधारों के लिये निर्धारित किया गया है।

प्राथमिकता 7: वित्तीय क्षेत्रक

वित्तीय क्षेत्रक में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग के कारण बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा सेवा आपूर्ति बेहतर एवं तीव्र हो गई है। साथ ही, ऋण उपलब्धता तथा वित्तीय बाजारों में भागीदारी सुगम हो गई है।

- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री
- MSMEs के लिए ऋण गारंटी
- डेटा एम्बेसी
- वित्तीय क्षेत्रक के विनियम
- राजकोषीय प्रबंधन
- प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण
- आजादी का अमृत महोत्सव – महिला सम्मान बचत पत्र
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ

घाटे के वित्त–पोषण के स्रोत (Sources of Deficit Financing)

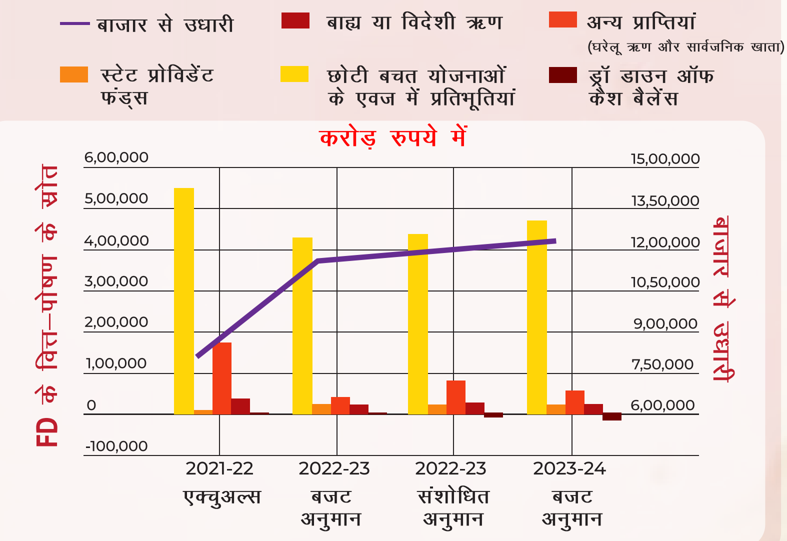

भाग B

प्रत्यक्ष कर (DIRECT TAXES)

- **व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था को सरल बनाना:**
  - नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत **7 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं** देना होगा।
    - **नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर संरचना के स्लैब की संख्या को घटाकर पांच और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है।**
  - 2 करोड़ रुपये से अधिक की आय के लिए नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार (सरचार्ज) दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है।
  - **नई आयकर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बना दिया गया है।**
    - हालांकि, नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का भी विकल्प बना रहेगा।

कर प्राप्तियों का विवरण

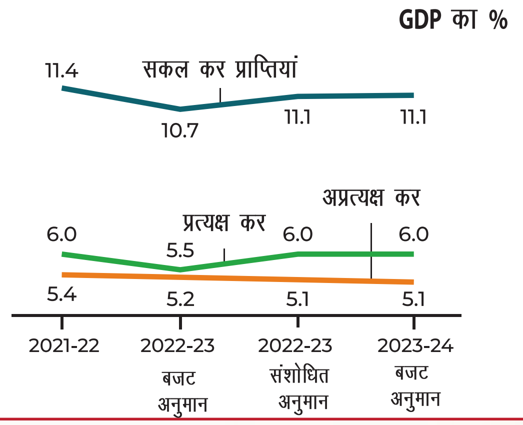

- **सामान्य आयकर रिटर्न फॉर्म की शुरुआत:**
  - इससे करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया सरल होगी। साथ ही, इससे करदाता संबंधी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती मिलेगी।
- **MSMEs और पेशेवर:**
  - वर्तमान में 2 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर (कारोबार) वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर **प्रकल्पित कराधान (Presumptive Taxation) का लाभ** उठा सकते हैं।
  - बजट में प्रकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्यमों के लिए 3 करोड़ रुपये तक और 5% से कम नकद प्राप्तियों वाले पेशेवरों के लिए 75 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  - MSME को किए गए किसी भी भुगतान को व्यय के रूप में तभी मान्य किया जाएगा, जब वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो।
- **सहकारिता क्षेत्रक (Co-operatives Sector):**
  - 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधि शुरू करने वाली **नई सहकारी समितियों को 15% की रियायती दर से कर का भुगतान करना होगा।**
  - **चीनी सहकारी समितियां** निर्धारण वर्ष (Assessment year) 2016–17 से पूर्व के वर्षों के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का व्यय के रूप में दावा प्रस्तुत कर सकती हैं।
  - सहकारी समितियों के लिए **नकद निकासी के संबंध में 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है।**
  - 'प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों' (PACS) तथा 'प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों' (PCARDBs) द्वारा **नकद जमा एवं ऋण के लिए प्रति सदस्य 2 लाख रुपये की उच्चतर सीमा** निर्धारित की गई है।
- **स्टार्ट–अप्स:**
  - **स्टार्ट–अप्स के लिए आयकर संबंधी लाभ** प्राप्त करने हेतु **निगमन की तिथि** संबंधी पात्रता को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जाएगा
  - स्टार्ट–अप्स की शेयरधारिता में परिवर्तन होने पर हानियों को कैरी फॉरवर्ड करने संबंधी समय सीमा को स्टार्ट–अप्स के निगमन की तिथि के आधार पर 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा।
- **अपीलों के निराकरण में विलंब को कम करना:**
  - छोटे स्तर पर अपीलों की सुनवाई और निपटारे के लिए 100 संयुक्त आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **कर रियायतों का बेहतर लक्ष्यीकरण:**
  - आवासीय मकान में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये तक सीमित किया जाएगा।
- **अनुपालन और कर प्रशासन में सुधार:**
  - अंतरण मूल्यांकन अधिकारी (Transfer Pricing Officer) द्वारा कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति (Assessee) को दस्तावेजों और सूचनाओं की प्रस्तुति के लिए दी जाने वाली **अनिवार्य न्यूनतम समयावधि को 30 दिन से घटाकर 10 दिन** किया जाएगा।

- युक्तिसंगत बनाना:
  - ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित TDS के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये की सीमा को हटाया जाएगा। साथ ही, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को भी स्पष्ट किया जाएगा।
  - भौतिक स्वर्ण को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में बदलने और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को भौतिक स्वर्ण में बदलने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।
  - गैर-PAN मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से निकाली गई राशि के कर योग्य हिस्से पर TDS दर को 30% से घटाकर 20% किया जाएगा।
  - मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से प्राप्त आय पर कर लगाया जाएगा।
- अग्निवीर कोष को एग्जेम्प्ट–एग्जेम्प्ट–एग्जेम्प्ट (EEE) का दर्जा
  - अग्निपथ योजना, 2022 में नामांकित अग्निवीरों द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड से प्राप्त भुगतान को करों से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।
- अन्य
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) सिटी को स्थानांतरित किए जाने वाले धन के लिए कर लाभ की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक कर दिया जाएगा।
  - IDBI बैंक सहित अन्य रणनीतिक विनिवेशों पर हानियों को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति दी जाएगी।

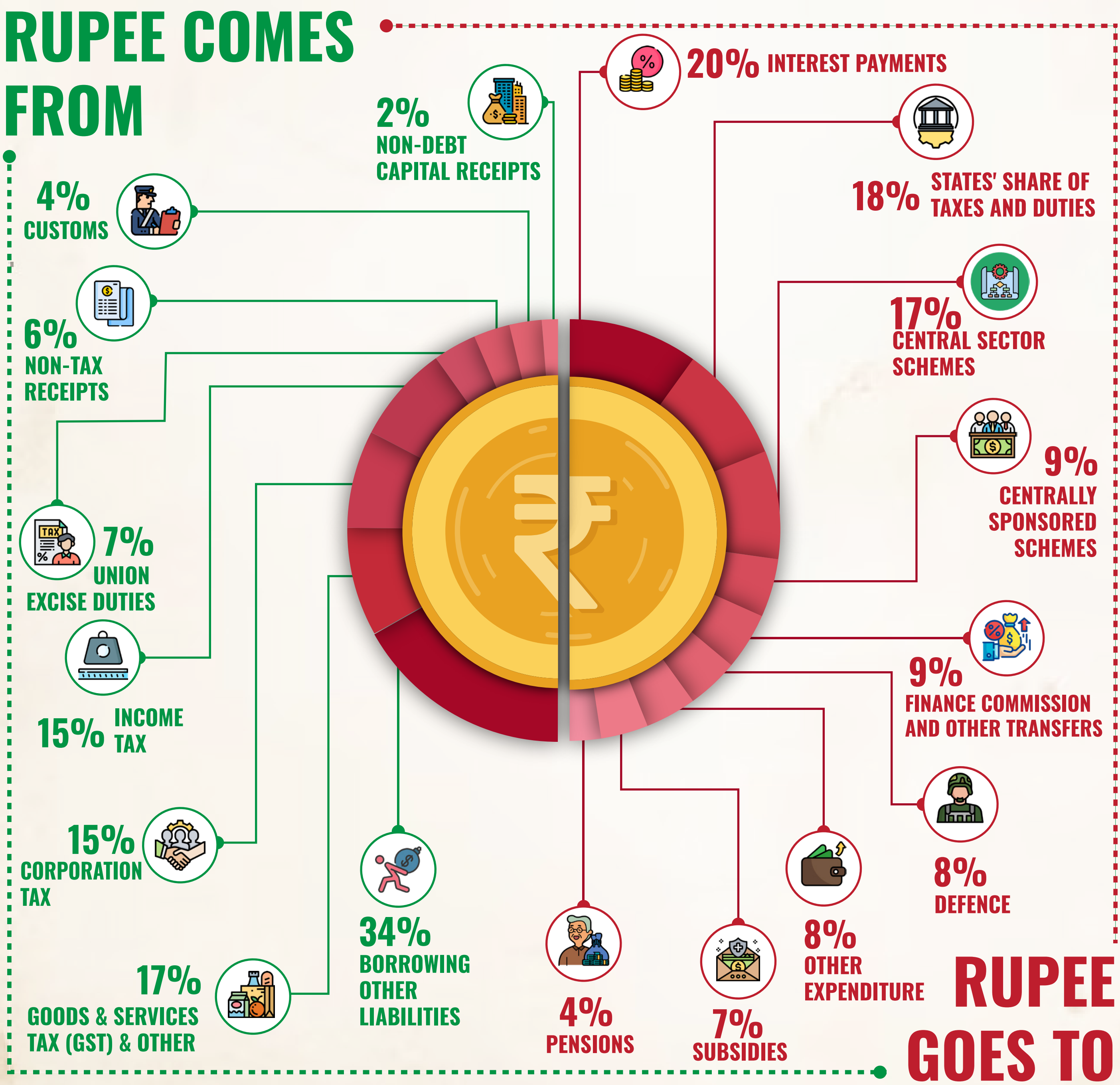

अप्रत्यक्ष कर (INDIRECT TAXES)

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानूनों में बदलाव:**
  - CGST अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत अपराध माने जाने वाले कुछ कृत्यों का **गैर–अपराधीकरण (अपराध की श्रेणी से बाहर करना)** किया जाएगा, जैसे–
    - किसी अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना या उसे काम करने से रोकना।
    - साक्ष्य संबंधी सामग्री के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना।
    - जानकारी प्रदान करने में विफलता।
  - अपराधों की प्रशमन (Compounding of offences) राशि को कर राशि की वर्तमान सीमा 50%-150% से घटाकर 25%-100% तक किया जाएगा।
  - GST के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।
  - CGST अधिनियम, 2017 की धारा 37, 39, 44 और 52 में संशोधन किया गया है। इससे **रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को नियत तिथि (Due Date) से अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक सीमित किया गया है।**
  - ई–कॉमर्स ऑपरेटर्स की सहायता से राज्य के भीतर वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु गैर–पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को सक्षम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। गौरतलब है कि 75 लाख (कुछ राज्यों में 50 लाख) रुपये तक के टर्नओवर वाले करदाता कंपोजिशन करदाता कहलाते हैं।
- **सीमा शुल्क कानूनों में बदलाव:**
  - निपटान आयोग (Settlement Commission) द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख से **नौ महीने की समय सीमा** निर्धारित करने हेतु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को संशोधित किया जाएगा।
  - वस्त्र और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर **मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या** 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।

क्षेत्रक विशिष्ट प्रस्ताव

क्षेत्रक	प्रस्ताव
 हरित मोबिलिटी (GREEN MOBILITY)	• संपीड़ित बायोगैस, जिस पर GST का भुगतान किया गया है उस पर **उत्पाद शुल्क में** छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य **करों की कैस्केडिंग से बचना** है। • इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लीथियम–आयन सेल्स के विनिर्माण हेतु जरूरी पूंजीगत सामग्री और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गयी है।
 आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक्स	• मोबाइल फोन के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए कैमरे के लेंस जैसे कुछ घटकों और इनपुट के आयात पर सीमा शुल्क में राहत दी जाएगी। • टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क (Basic Custom Duty: BCD) को घटाकर 2.5% किया जाएगा। • बैटरियों के लिए लीथियम–आयन सेल्स पर रियायती शुल्क अगले एक साल तक जारी रहेगा।

इलेक्ट्रिकल

- **उल्टी शुल्क संरचना संबंधी त्रुटि में सुधार करने** और इलेक्ट्रिक किचन चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु–
  - इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर BCD में 7.5% से 15% की वृद्धि और हीट कॉइल्स पर 20% से 15% की कमी का प्रस्ताव है।

रसायन और पेट्रो–रसायन

- **एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन** करने के लिए, डिनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर BCD में छूट दी जाएगी।
- एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार और क्रूड ग्लिसरीन पर BCD को घटाकर 2.5% किया जाएगा।

समुद्री उत्पाद

- निर्यात को बढ़ावा देने हेतु झींगा के आहार के घरेलू विनिर्माण संबंधी प्रमुख इनपुट पर BCD में कमी का प्रस्ताव किया गया है।

प्रयोगशाला में निर्मित हीरे

- हीरा उद्योग को सहयोग देने के लिए प्रयोगशाला में हीरों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर BCD को मौजूदा 5% से घटाकर शून्य किया जाएगा।

मूल्यवान धातु

- **शुल्क–विभेद में सुधार करने के लिए,** सोने और प्लेटिनम से बनी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा।
- चांदी के डोरे (Silver Dore), बार और चांदी की वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि इसे सोने और प्लेटिनम पर लगने वाले आयात शुल्क के साथ तालमेल में रखा जा सके।

मिश्रित रबड

- **शुल्क में हेराफेरी रोकने के लिए** मिश्रित रबड़ पर BCD दर 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपये/कि.ग्रा.(दोनों में से जो भी कम हो) की जाएगी।

सिगरेट

- निर्धारित सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty: NCCD) को संशोधित करते हुए लगभग 16% तक किया जाएगा।

शब्दावली

शब्द	विवरण
अमृत काल	• अमृत काल अगले **25 वर्षों यथा इंडिया @75 से इंडिया @100** तक का रोडमैप है।
प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capital Expenditure)	• इसमें राज्यों को सहायता अनुदान के जरिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए ऋण के साथ–साथ पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं।
प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (Lab-Grown Diamonds: LGD)	• ये हीरे विशिष्ट तकनीक का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं। इस तकनीक में **प्राकृतिक हीरों का निर्माण करने वाली भू–वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की नकल** की जाती है। ये "डायमंड सिमुलेंट्स" के समान नहीं हैं। LGD के गुणधर्म रासायनिक, भौतिक और प्रकाशीय रूप से प्राकृतिक हीरे जैसे ही होते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में निर्मित हीरे और प्राकृतिक हीरे के मध्य अंतर कर पाना कठिन होता है।
सीमा शुल्क	• यह **अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाने वाली वस्तुओं पर लगाया गया कर** होता है। • सरकार इस शुल्क का उपयोग अपने राजस्व को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए करती है। • **सीमा शुल्क के प्रकारों में शामिल हैं:** मूल सीमा शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (Countervailing Duty), अतिरिक्त सीमा शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क और डंपिंग–रोधी शुल्क।
पूंजीगत लाभ	• यह **बॉण्ड बाजार में बॉण्ड धारक के बॉण्ड की कीमत में वृद्धि या कमी** के कारण उसके धन के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है।
GIFT-IFSC	• "गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) – सिटी कंपनी लिमिटेड" को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के रूप में विकसित किया जा रहा है। • IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। यह सीमाओं के पार वित्त, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के प्रवाह से संबंधित है।
प्रकल्पित कराधान (Presumptive Taxation)	• भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 44D प्रकल्पित कराधान के नियमों को परिभाषित करती है। • यह प्रकल्पित आय के आधार पर कर के भुगतान को संभव बनाता है। इसके लिए राजस्व से व्यय घटाकर आय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके तहत कुल राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कर का भुगतान किया जा सकता है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (National Calamity Contingent Duty: NCCD)	• यह वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता है। इसे वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के तहत निश्चित दरों पर निर्धारित उत्पाद शुल्क के रूप में आरोपित किया जाता है। • इसका उपयोग राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) को वित्त–पोषित करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।
उल्टी शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure: IDS)	• ऐसी स्थिति जहां किसी तैयार माल की तुलना में आगत माल या कच्चे माल पर आयात शुल्क अधिक होता है। • IDS घरेलू मूल्य वर्धन को हतोत्साहित करती है।
EEE कर श्रेणी	• EEE से तात्पर्य एग्जेम्प्ट–एग्जेम्प्ट–एग्जेम्प्ट है। • 'EEE' श्रेणी के निवेश विकल्पों में अपना पैसा लगाने वाले व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निवेश पर कर में छूट के पात्र होंगे।
ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing)	• यह लेखांकन और कराधान की एक पद्धति है, जो व्यवसायों के भीतर और साझे नियंत्रण या स्वामित्व के तहत काम करने वाली सहायक कंपनियों के बीच आंतरिक लेन–देन के मूल्यांकन को संभव बनाती है। इस पद्धति का उपयोग सीमा–पारीय लेन–देन के साथ–साथ घरेलू लेन–देन पर भी होता है।